UPAD010071382026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, प्रयागराज।

प्रकीर्ण फौजदारी (अन्तरण) वाद संख्या– 789/2026

अमरजीत बनाम उ0 प्र0 सरकार

दिनांक/20.07.2026

प्रस्तुत प्रकीर्ण फौजदारी (अन्तरण) वाद पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है और पत्रावली का अवलोकन किया जा चुका है।

2. प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना पत्र 3ख मय शपथ पत्र 4ख प्रार्थी की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि दाण्डिक अपील संख्या– 79 सन् 2025, अमरजीत सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार में प्रार्थी अपीलार्थी है, जो अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–16, प्रयागराज में विचाराधीन है। अपील में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 08.05.2026 को दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा निर्णय हेतु दिनांक 22.05.2026 की तिथि नियत की गयी। उक्त तिथि को निर्णय नहीं हो सका और निर्णय हेतु दिनांक 29.05.2026 की तिथि नियत की गयी। उक्त तिथि को भी कार्यभार अधिक होने के कारण निर्णय नहीं हो सका, पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि दिनांक 15.06.2026 को निर्णय हो जायेगा। इस बीच पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–21, प्रयागराज में हो गया, जिस कारण उक्त अपील में दिनांक 15.06.2026 को निर्णय नहीं हो सका। चूँकि पत्रावली में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित किया जा चुका है, अतः फौजदारी अपील संख्या– 79/2025, अमरजीत बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि की पत्रावली को अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–16, प्रयागराज के न्यायालय से रिकाल कर अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–21, प्रयागराज के न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गयी है।

3. न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष कोर्ट नं0–1, (एण्टी करप्शन), प्रयागराज की आख्यानुसार अन्तरण प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित अपील संख्या 79/2025, अमरजीत सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार की पत्रावली उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। चूँकि प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–16, प्रयागराज के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनी जा चुकी है, जो वर्तमान में अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–21, प्रयागराज के न्यायालय में कार्यरत हैं, अतः प्रार्थना पत्र 3ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. प्रार्थना पत्र 3ख स्वीकार किया जाता है।

2. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–16, प्रयागराज के न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या– 79/2026, अमरजीत सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार की पत्रावली उक्त न्यायालय से वापस लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–21, प्रयागराज के न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है।

3. आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालयों को प्रेषित की जाये।

4. प्रकीर्ण फौजदारी (अन्तरण) वाद तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

(सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
प्रयागराज।
JO Code-UP5687

दिनांक/20.07.2026

<u>आरके</u>